## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3359–तीन/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–9–15 पारित द्वारा तहसीलदार, सीतामऊ जिला मन्दसौर प्रकरण कमांक 42/अ–6/2013–14.

---

शहर काजी खलीलउल्लाह पिता नसरूल्लाह काजी
निवासी सीतामऊ जिला मन्दसौर .....आवेदक

**विरूद्ध**

1– जमीरउल्लाह पिता जहुरउल्लाल
2– अनवारउल्लाह पिता जहुरउल्लाल
3– दिलबर पिता जहुरउल्लाल
4– जहुरउल्लाह पिता नूरउल्लाल
निवासीगण ग्राम काजीवाडा घाटी सीतामऊ
जिला मन्दसौर .....अनावेदकगण

---

श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री ओ.पी. श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 17/8/16 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, सीतामऊ जिला मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–9–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा तहसीलदार, सीतामऊ जिला मन्दसौर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि कस्वा सीतामऊ तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर स्थित भूमि सर्वे कमांक

1260/758 रकबा 0.809 हेक्टेयर में से रकबा 0.459 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 758 रकबा 2.995 हेक्टेयर में से रकबा 1.286 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 759 रकबा 5.210 हेक्टेयर में से रकबा 4.113 हेक्टेयर कुल रकबा 5.858 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 4 जहुरउल्लाह के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा उक्त भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय कर ली गई है, अतः अनावेदक कमांक 4 के स्थान पर उनका नामांतरण स्वीकार किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 42/अ–6/13–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 17–9–15 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः आपत्ति पर तर्क हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में शामिलाती खाते में दर्ज है, परन्तु सम्पूर्ण भूमि आवेदक के स्वत्व की भूमि है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 50ए/68 में दिनांक 8–9–1975 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में डिक्री पारित की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 4 को प्रश्नाधीन भूमि में किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, और राजस्व अभिलेखों में गलत तरीके से दर्ज हो गया था, जिसकी अपील अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान अनावेदक कमांक 4 द्वारा बोगस तरीके से प्रश्नाधीन भूमि अपने पुत्रों अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 को विकय कर दी गई है, अतः ऐसे विकय के आधार पर उन्हें कोई स्वत्व प्राप्त हनीं होता है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक को भूमिस्वामी घोषित किया गया है, और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । उपरोक्त आशय की आपत्ति आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक का आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियां अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई हैं, और पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु हेतु तहसील न्यायालय बाध्य है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की इस आशय की आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नामांतरण की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय अथवा अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में कोई स्थगन जारी नहीं किया गया है, अतः स्थगन के अभाव में तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रारंभ किये जाने पर आवेदक की ओर से उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही को स्थगित किये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और आवेदन पत्र में प्रकरण स्थगित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं दर्शाया गया है । वर्तमान में किसी न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन नहीं है तथा आवेदक के अन्य बिन्दु गुण–दोष पर निर्णय के समय विचार योग्य हैं । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, सीतामऊ जिला मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–9–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर